डीएम ने की परियोजनाओं की समीक्षा

बिना अनुमति सड़क खोदने पर रोक, स्व-गणना के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश

गाजीपुर, 21 नवंबर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार देर शाम जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में 50 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति के साथ स्व-गणना को लेकर जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार की रणनीति पर भी चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं से निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की जानकारी ली और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी अनुमति के बिना जिले में कहीं भी सड़क की खुदाई नहीं की जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में नियमानुसार अनुमति लेने के बाद ही सड़क खोदी जाए। साथ ही खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत भी अनिवार्य रूप से पूरी कराई जाए, ताकि आम जनता को आवागमन में परेशानी न हो। स्व-गणना की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी चार्ज अधिकारियों को नियमित रिपोर्टिंग करने और कार्ययोजना बनाकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी एसई आईडी जनरेट करें। यह आईडी 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच इन्यूमरेटर के घर पहुंचने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वेद सिंह चौहान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।



विवाहिता और उसकी मां से मारपीट, चार पर मुकदमा

मरदह। थाना क्षेत्र के बरही गांव में बिजली का तार काटने से मना करने पर विवाहिता और उसकी मां के साथ मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता कविता देवी ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के अनुसार, शुक्रवार की रात करीब 8ः30 बजे उनके ससुर रामसरेख पटेल बिजली का तार काट रहे थे। उनके बेटे द्वारा मना करने पर रामसरेख पटेल, सिंटू पटेल, मोनू पटेल और सीमा देवी ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए कविता देवी को लाठी-डंडे और लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी मां तारा देवी को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया।

पोखरी में मिला १५ दिन पूर्व घर से गायब किसान का शव

परिवार के लोगो ने लगाया हत्या का आरोप, ३० नवम्बर को होनी है मृतक की पुत्री की शादी

मरदह। मरदह थाना के डोड़सर गांव निवासी रामविधी राजभर उम्र 48 वर्ष धनतेरस के दिन घर से शाम के वक्त लापता हो गए थे। शुक्रवार की देर शाम को उनका शव गांव के कम्पोजिट विद्यालय के परिसर में पड़ा मिला ।सूचना पर पहुँची मरदह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है । रामविधि की मृत्यु से गांव में शोक की लहर वयाप्त है। परिवार के लोगो के अनुसार धनतेरस के दिन 6 नवम्बर को शाम के वक्त रामविधि राजभर शाम के वक्त घर से निकले थे पुनः घर नही लौटे । परिवार के लोगो ने हर जगह ढूढने के बाद मरदह थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराए थे ।देर शाम गांव के कम्पोजिट विद्यालय की पोखरी में उनका शव तैरते मिलने की सूचना पर गांव में सनसनी फैल गयी। ग्रामिणो की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। परिवार के लोगो का आरोप है कि रामविधि की हत्या कर शव पोखरी में फेंक दिया गया है ।जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन गांव के दो लोगो के साथ वह सुबह से शाम तक वह घूमते दिखाई दिए थे ।उन्ही दोनो द्वारा उनकी हत्या की गयी है और शव पोखरी में फेंक दिया गया है। जिस पोखरी में उनका शव मिला है उस पोखरी तक जाने के रास्ते मे लोहे के तार से बांधा गया है। पोखरी तक जाने का कोई रास्ता नही है। मृतक रामविधि के चार पुत्र क्रमशः रामविलास 22 वर्ष,राजन 18 वर्ष,पप्पू 16 वर्ष,साजन 15 वर्ष एक पुत्री गुड़िया 20 वर्ष की है। दो बड़े पुत्रो की शादी हो चुकी है। पुत्री की शादी आगामी 30 नवम्बर को है 24 नवम्बर को तिलक का कार्यक्रम है ।घटना के बाद पत्नी फुलवा देवी सहित महिलाओं के रोने बिलखने से गांव में शोक की लहर वयाप्त है। मृतक के पुत्र रामविलास ने बताया कि गांव निवासी जिस व्यक्ति के साथ उसके पिता लापता होने के दिन शाम तक दिखाई दिए थे उससे बार-बार पूछने पर वह कुछ नही बता रहा था जब दो दिन पूर्व उसके द्वारा उसके खिलाफ अपने पिता को धमकी देने का प्रार्थना पत्र थाने में देने की धमकी दी गयी तो उसके द्वारा कहा गया था कि किसी गड्ढे में गिर कर मर गए होंगे उनको खोजो ।उस दिन के बाद से वह घर से कही फरार हो गया है। जिस घर मे 24 नवम्बर को पुत्री की तिलक जानी है और 30 नवम्बर को शादी है उस घर मे लड़की के पिता की मृत्यु की वारदात से पूरे घर मे मातम छाया है। मरदह थाना प्रभारी अनिल सिह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर मृत्यु के सही कारणों का पता लग सकेगा। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।

एक नज़र इधर भी

हादसे में जान गंवाने वाले किशोर की हुई पहचान

नंदगंज गाजीपुर। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर तिराहे के पास शुक्रवार की शाम टोटो के धक्के से मृत बाइक सवार किशोर की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान विशाल यादव 15 वर्ष पुत्र योगेश यादव निवासी कुकुड़ा, थाना शादियाबाद के रूप में हुई है। मृतक की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के चाचा रमेश यादव ने थाना में तहरीर देकर बताया है कि मेरा भतीजा विशाल यादव पहाड़पुर चौराहा पर खड़ा होकर वाहन का इंतजार कर रहा था कि किसी वाहन ने धक्का मार दिया,जिससे उसकी मौत हो गयी। धक्का मारने के बाद वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया। थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो देखकर परिजनों ने मृतक की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धक्का मारने वाले अज्ञात वाहन की छानबीन की जा रही है।

लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे चार युवक, पुलिस ने दबोचा

गाजीपुर। कोतवाली पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असलहे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार चारों युवक किसी लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस की इस कार्रवाई में तीन .32 बोर पिस्टल समेत अन्य अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिन्टू कुमार बिंद 26, अमन चौधरी 22, राहुल यादव 25 और कमलेश यादव 25 के रूप में हुई है। इनमें तीन आरोपी जैतपुरा एवं उसरा जैतपुरा क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि एक आरोपी इमली महुआ का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 838/2026 के तहत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार पाठक, उपनिरीक्षक शिवमणि त्रिपाठी सहित हमराह पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध असलहों की बरामदगी से संभावित आपराधिक वारदात को रोकने में मदद मिली है।

ससुर, ननद पर विवाहिता से मारपीट का आरोप

मरदह। थाना क्षेत्र के टिसौरी गांव में ससुर और ननद द्वारा विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से निकालने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता गुड़िया राजभर ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर के अनुसार, ससुर हृदयानन्द राजभर और ननद प्रीति राजभर ने गाली-गलौज करते हुए डंडे, लात-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि दोनों ने मायके से कुछ नहीं मिलने का ताना देते हुए घर से भाग जाने और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

जमीन में बांस गाड़ने से मना करने पर महिला को पीटा

मरदह। थाना क्षेत्र के हैदरगंज गांव में काश्तकारी जमीन में बांस गाड़ने से मना करने पर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ललिता देवी ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के अनुसार, ललिता देवी की काश्तकारी जमीन में जयप्रकाश बांस गाड़ रहे थे। महिला ने अपनी जमीन में बांस गाड़ने से मना किया तो आरोप है कि जयप्रकाश, अंकित, बिंदू और अंजली लाठी-डंडे लेकर उन पर टूट पड़े और मारपीट कर दी। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोट आई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उक्त लोग पहले भी तीन बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

श्रद्धा से पूजी गयी माता तुलसी

जखनियां जीपुर। क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रो में माता तुलसी का पूजन सनातनी यो ने आस्था से किया। पूजन के दौरान महिलाओं ने तुलसी माता के नाम का संध्या वंदन किया और परिवार, समाज के लिये प्रार्थना की । आचार्य पंडित अमोद प्रकाश पांडे ने तुलसी पूजन के बारे में कथा के दौरान जानकारी दी। कहा कि तुलसी पूजन हमारी सनातन परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा हमें अपनी संस्कृति, संस्कार विरासत मानी.जातीहै । बताया कि जिस परिवार में तुलसी की नित्य पूजा होती है।

तहसील दिवस पर चकरोड निर्माण की मांग

कासिमाबाद गाजीपुर। ग्राम कुतुबपुर में बदहाल चकरोड के निर्माण और मिट्टी भराई की मांग को लेकर जफर खान ने कासिमाबाद तहसील दिवस पर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 63, रकबा 0.0400 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में चकरोड के रूप में दर्ज है, लेकिन रास्ते की बदहाली से ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पूर्व में जिलाधिकारी और एसडीएम को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था। ग्राम पंचायत स्तर से मनरेगा के तहत मिट्टी भराई का आश्वासन मिला, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने तहसील प्रशासन से चकरोड की पैमाइश कराकर तत्काल मिट्टी भराई एवं मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की है।

शेरपुर कलां की बेटी वैष्णवी राय ने बढ़ाया गाजीपुर का मान

मुहम्मदाबाद गाजीपुर। ग्रामीण अंचल की बेटियां भी अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर खेल के राष्ट्रीय फलक पर पहचान बना रही हैं। इसकी मिसाल मुहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर कलां गांव की होनहार खिलाड़ी वैष्णवी राय ने पेश की है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी धनंजय राय की पुत्री वैष्णवी का उत्तर प्रदेश की अंडर-14 बालिका वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। वह टीम में लिफ्टर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए महाराष्ट्र में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।

रजिस्ट्री में दो गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी

गाजीपुर। जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों को जल्द राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार रजिस्ट्री के दौरान दो गवाहों की अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत खरीदार और विक्रेता की पहचान आधार आधारित ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन से की जाएगी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। इस बदलाव से आम लोगों को गवाहों की व्यवस्था करने की परेशानी से राहत मिल सकती है। वहीं, रजिस्ट्री प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के बीच दस्तावेज लेखक, मुंशी और बैनामा तैयार करने वाले लोगों के रोजगार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। गाजीपुर में बड़ी संख्या में लोग इस काम से जुड़े हैं। ऐसे में तकनीकी सुधार के साथ उनके रोजगार और भविष्य को सुरक्षित रखने पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। इसके अलावा रजिस्ट्री कार्यालयों में निर्धारित समय के बाद भी पंजीकरण की सुविधा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

रोजगार सेवकों ने बीडीओ को सौंपा पत्रक

बिरनो । बिरनो विकासखंड क्षेत्र के ग्राम रोजगार सेवकों ने शनिवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी खुशबू सोनी को पत्रक सौंपा। रोजगार सेवकों ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में 23 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के दौरान कार्य बहिष्कार करने तथा तीन दिसंबर 2026 को लखनऊ में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। रोजगार सेवकों ने पत्रक के माध्यम से बताया कि वे लंबे समय से मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ भुगतान सहित अन्य विभागीय समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में 13 नवंबर 2026 को आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग के साथ ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा की वार्ता हुई थी। इसमें समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। संगठन ने मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा सहित अन्य मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और तीन दिसंबर को प्रदेशभर के हजारों रोजगार सेवक लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा। इस संबंध में बीडीओ खुशबू सोनी ने बताया कि पत्रक प्राप्त हुआ है। उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा।



मुख्यमंत्री योगी की माता के निधन पर शोकसभा

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता श्रीमती सावित्री देवी के निधन पर शनिवार को अठगांवा स्थित श्री किरतु राय इंटर कॉलेज परिसर में शोकसभा आयोजित की गई। शोकसभा का आयोजन किरतु राय, ठाकुर देवकरन सिंह ट्रस्ट के संयोजन में हुआ। इस दौरान पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉ. कैलाश सिंह ने कहा कि मां का जाना जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर समूचा न्यास परिवार गहरा दुख व्यक्त करता है। शोकसभा में दिवंगत आत्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई। इस मौके पर देवेंद्र चौहान, धीरज सिंह, पार्थसारथी, सुनील सिंह, विनोद कुमार, रामप्रवेश राम, आनंद कुमार सिंह, अशोक सिंह, जयप्रकाश यादव, रामदीन यादव, परवेज अहमद मौजूद थे।

शादी का झांसा देकर युवती से वर्षों तक संबंध बनाने का आरोप

जखनिया, गाजीपुर। भुड़कुंडा कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय युवती काल्पनिक नाम रीमा ने जौनपुर जनपद के पतरही गांव निवासी युवक काल्पनिक नाम श्यामू द्वारा लडकी से शादी का झांसा देकर वर्षों तक संबंध बना कर युवक ने शादी करने का भरोसा देकर लंबे समय तक उसके साथ संबंध बनाए रखे, । लेकिन अब शादी की बात आने पर वह टालमटोल कर रहा है। इससे परेशान होकर युवती ने भुड़कुंडा कोतवाली में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराई । कोतवाल प्रभारी धर्मेंद्र पाडे ने कहा शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया ।कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
शाखाः वेलेस्लीगंज, मिर्जापुर

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1)) कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा सुरक्षा हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत नोटिस

1. **मेसर्स भगवान सिंह कन्सट्रक्शन प्रोपराइटर- श्री दिलीप कुमार सिंह,** पता- कैलाशपुरी कालोनी, रमईपट्टी, मिर्जापुर- 231001 **(ऋणी फर्म)**
2. **श्री दिलीप कुमार सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह,** पता- कैलाशपुरी कालोनी, रमईपट्टी, मिर्जापुर-231001 **(ऋणी/बंधककर्ता)**
3. **श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह,** पता- कैलाशपुरी कालोनी, रमईपट्टी, मिर्जापुर-231001 **(बंधककर्ता/जमानतदार)**
4. **श्रीमती प्रमिला सिंह पत्नी श्री भगवान सिंह,** पता- कैलाशपुरी कालोनी, रमईपट्टी, मिर्जापुर-231001 **(बंधककर्ता/जमानतदार),**

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पूर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ऋणी - मेसर्स भगवान सिंह कन्सट्रक्शन प्रोपराइटर- श्री दिलीप कुमार सिंह,** को हमारी **वेलेस्लीगंज, मिर्जापुर** इंडियन बैंक ने एक **मांग सूचना दिनांक 01.09.2026** जारी की जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लेखित **रू. 27,09,089.00 (रूपये सत्ताईस लाख नौ हजार नवासी मात्र) 01.09.2026** तक बकाया एवं आगे का ब्याज, लागते व खर्चो और अन्य शुल्कों के साथ राशि को इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर, एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इस अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत और नियम 8 व 9 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति को **वर्ष 2026 के नवम्बर माह के 18 वें दिवस** को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का किया गया कोई भी संव्यवहार **रू. 28,02,154.00 (रूपये अट्ठाईस लाख दो हजार एक सौ चउवन मात्र) 18.11.2026** तक बकाया और आगे का ब्याज, लागते व खर्चो और अन्य शुल्कों के साथ राशि इंडियन बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा। **इस सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जो प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित है।**

बंधक सम्पत्ति का विवरण :

सम्पत्ति का सभी भाग स्थित अराजी नम्बर 163, क्षेत्रफल- 2448 वर्ग फीट, स्थित मौजा- रमईपट्टी, टप्पा- 84, परगना- कांतित, तहसील- सदर, जिला- मिर्जापुर, जो कि स्व0 श्री भगवान सिंह के नाम में है जिसका विक्रय विलेख संख्या- 4426 दिनांक 28.07.2004, बही संख्या- 1, खंड संख्या- 2425, पृष्ठ संख्या- 73 से 104 है जो उप निबन्धक सदर, जिला- मिर्जापुर के यहां पंजीकृत है और स्व0 श्री भगवान सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों- श्रीमती प्रमिला सिंह, श्री दिलीप कुमार सिंह और श्री संदीप कुमार सिंह के पक्ष में उत्परिवर्तित किया गया।

चौहद्दी (विक्रय विलेख के अनुसार)- पूर्व - भगवती देवी पत्नी सूर्यबली की जमीन, पश्चिम- कच्चा रास्ता जो प्रथम पक्ष की अपनी जमीन से बनाया गया है उसके बाद प्रथम पक्ष की शेष जमीन, उत्तर- कच्चा रास्ता जो प्रथम पक्ष की अपनी जमीन से बनाया गया है उसके बाद संटू व अन्य की जमीन, दक्षिण- विक्रेता की शेष जमीन

दिनांक 18.11.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक**

